(87)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7044–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 1–12–2016 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला हरदा प्रकरण कमांक 05/सी–132/2016–17.

श्रीमती विनीता दुबे पत्नी किशोर दुबे
निवासी व्ही.व्ही. गिरी वार्ड हरदा
तहसील व जिला हरदा .....आवेदिका

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

श्री राजेश गिरी, अभिभाषक, आवेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/10/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–12–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदिका द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प जिला हरदा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा दिनांक 17–7–2016 को एक हस्तान्तरण पत्र का पंजीयन कराने हेतु विकेता करमसी भाई एवं केता सुनील तथा अनील का एक दस्तावेज तैयार किया गया था, किन्तु विकेता के बाहर चले जाने के कारण उक्त दस्तावेज का पंजीयन नहीं हो पाया गया है । अतः ई–स्टाम्प कोड 01011519072016000503 रूपये 1,89,933 की राशि नियमानुसार उसके खाते में जमा किया जाये । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 05/सी–132/2016–17 दर्ज कर दिनांक 1–12–2016 को आदेश पारित कर उक्त

आवेदन पत्र समय बाधित मानकर निरस्त किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि अधिनियम की धारा 49 (घ) की श्रेणी में प्रकरण आयेगा, परन्तु यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अधिनियम की धारा 49 (घ) के किस उपधारा के अन्तर्गत प्रकरण है, क्योंकि 49 (घ) की 1 लगायत 8 उपधाराऐं हैं और अधिनियम की धारा 49 (घ) की उपधारा–5 के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 50 (1) लागू होती है, जिसके अन्तर्गत दो मास की अवधि निर्धारित है, जबकि अन्य उपधाराओं में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए छः मास की अवधि निर्धारित है । इस आधार पर लेख किया गया है कि आवेदिका का प्रकरण अधिनियम की धारा 49 (घ) (5) के अन्तर्गत आता है, जिसके लिए छः मास की अवधि निर्धारित है और आवेदिका द्वारा मुद्रांक धन वापसी हेतु छः मास के भीतर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है ।

(2) कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन प्रकरण ई–स्टाम्प की राशि रिफण्ड से सम्बन्धित है और ई–स्टाम्प की राशि रिफण्ड की कार्यवाही धन वापसी अनुरोध नम्बर प्राप्त होने के उपरान्त ही की जा सकती है ।

(3) आवेदिका को धन वापसी अनुरोध नम्बर आर.आर. 011510201600673 दिनांक 28–10–2016 को प्राप्त हुआ है और उसी दिनांक को आवेदिका द्वारा मुद्रांक धन राशि वापसी हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि समय–सीमा में है ।

(4) ई–स्टाम्प से सम्बन्धित प्रकरण होने के कारण समय–सीमा के बिन्दु पर निराकरण नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, अन्यथा उक्त स्थिति में सर्विस प्रोवाईरों को तकनीकी कारणों से अनावश्यक रूप से आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा ।

4/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि स्टाम्प की राशि 1,89,933/– रूपये की वापिसी आवेदिका को नहीं हुई है । इस सम्बन्ध में

आवेदिका के अभिभाषक का कहना है कि ई–स्टाम्प प्रक्रिया में विलम्ब हुआ है, उसके द्वारा विलम्ब नहीं किया गया है । उपरोक्त स्थिति में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि विलम्ब किसके कारण हुई है, इसका स्पष्ट विश्लेषण करते हुए पुनः विधि अनुसार आदेश पारित करें ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–12–2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर